

निगरानी / टीए / 3761 / 2006 / बांसवाड़ा
तानसेन बनाम मानसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
04-05-26	<p style="text-align: center;">एकल-पीठ श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्री मुकेश जैन, अभिभाषक प्रार्थीगण। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनु.।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>1 हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-04-2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2 निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरांत दिनांक 25.04.2006 को आदेश पारित कर प्रार्थीगण का आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3 विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है जिसमें वादीगण को पक्षकार बनया जाना न्यायिक है। प्रार्थीगण अपने पिता के जीवित रहते अपने अधिकार क्लेम कर सकते हैं और उक्त क्लेम पाने का पूरा अधिकार रखते है। उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर आक्षेपित आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय ने नॉन-स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश पारित किया है। आदेश 1 नियम 10 सीपीसी की मंशा के अनुसार यदि किसी प्रकरण में आवश्यक पक्षकारों को जोड़ा जाना न्यायसंगत हो तो न्यायालय किसी भी अवस्था में उन्हें पक्षकार के रूप में संयोजित कर सकता है, जिससे विवाद</p>	

का पूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण संभव हो सके। किन्तु परीक्षण न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण तथ्यों पर विचार किये बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जो विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-04-2006 को निरस्त फरमाते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी को स्वीकार कर प्रार्थीगण को पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

4 विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजात एवं आलोच्य आदेश व तहत के रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

5 पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया। दौराने वाद प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी प्रस्तुत किया। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्षों की बहस सुनने के उपरांत दिनांक 25.04.2006 को आदेश पारित कर प्रार्थीगण का आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने इस आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 मूल पुरुष वालजी के पुत्र हीरालाल के वारिसान है हीरालाल जीवित है। प्रार्थीगण का प्रतिवादीगण के हिस्से में कोई हित निहित नहीं है।

6. निगरानी में प्रस्तुत अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि के अनुरूप है। चूंकि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का बंटवारा करवाना चाहते हैं तथा प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। रिकॉर्डेड खातेदार प्रार्थीगण के पिता हीरालाल वाद में पक्षकार संयोजित है। इसलिए परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना विधिसम्मत एवं उचित प्रकट होता है।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में क्षेत्राधिकार संबंधी अथवा विधि व तथ्य संबंधी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर

निगरानी/टीए/3761/2006/बांसवाड़ा
तानसेन बनाम मानसिंह

आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो। अतः निगरानी खारिज योग्य है।

8. परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। तहत का अभिलेख शीघ्र लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य